बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री दिवाकर दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बांका एवं श्रम अधीक्षक, लखीसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण–1 के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3708, दिनांक–12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि बांका एवं जमुई जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज क्रमशः 10 एवं 04 बच्चों में से दिनांक–30.06.2017 तक एक भी बच्चे के नाम Fixed Deposit नहीं कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1976, दिनांक–03.08.2017 एवं अनुवर्ती पत्रों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 के तहत श्री दिवाकर दूबे से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री दिवाकर दूबे का स्पष्टीकरण कार्यालय, श्रम अधीक्षक, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–866, दिनांक–10.10.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री दिवाकर दूबे ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि बांका जिले के लिए जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–56 दिनांक–03.03.2017 द्वारा CLTS में दर्ज विमुक्त 10 बाल श्रमिकों के लिए आवंटन की मांग की गई। श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–901 दिनांक–09.01.2017 द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। दिनांक–25.03.2017 को सत्यापित 03 बाल श्रमिकों के नाम FD हेतु संचिका उपस्थापित की गई जिसपर अपर समहर्ता का यह मौखिक निदेश उन्हें प्राप्त हुआ की सभी बाल श्रमिकों जिनके लिए आवंटन प्राप्त हुआ है, के लिए एक साथ सचिका उपस्थापित किया जाए। अपर समहर्ता के निदेशानुसार सभी बाल श्रमिकों का सत्यापन हो जाने के पश्चात दिनांक–19.06.2017 को उनके द्वारा 02 बाल श्रमिकों का आधार कार्ड तथा बैंक खाता उपलब्ध नहीं रहने एवं 01 बाल श्रमिक के तकनीकी रूप से अयोग्य होने के कारण शेष 07 बाल श्रमिकों, जिनका खाता एवं आधार संख्या प्राप्त था, के नाम FD का प्रस्ताव हेतु संचिका उपस्थापित की गई। जिला पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–180 दिनांक–28.06.2017 द्वारा 07 बाल श्रमिकों के नाम FD करने हेतु संबंधित बैंक भेजा गया। श्री दिवाकर दूबे ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि जमुई जिले के लिए श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3503 दिनांक–03.07.2017 द्वारा 04 बाल श्रमिकों हेतु आवंटन उनके कार्यालय को दिनांक–07.07.2017 को प्राप्त हुआ, जबकि उनके द्वारा दिनांक–06.07.2017 को ही श्रम अधीक्षक, जमुई का पदभार त्याग दिया जा चुका था। श्री दिवाकर दूबे ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि उनका पदस्थापन जमुई में था, जबकि बांका एवं लखीसराय में श्रम अधीक्षक का पद अतिरिक्त प्रभार में था। इन तीन जिलों में संसाधन का अत्यंत अभाव था, जिसके कारण FD करने में जो विलम्ब हुआ वह परिस्थितिजन्य था।

3. श्री दिवाकर दूबे से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने श्री दूबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों को स्वीकारते हुए यह मंतव्य भी अंकित किया है कि विभागीय पत्र द्वारा CLTS अर्हता प्राप्त बाल श्रमिक का प्रविष्टि दर्ज करने एवं खाता खुलवाने के संबंध में अनेकों बार निदेशित किया जा चुका है तथा CLTS What's app group/dashboard में प्रतिदिन उनकी incremental/pending डाटा भेजे जाने के बावजूद श्री दूबे द्वारा बांका जिला अंतर्गत CLTS कार्य में प्राथमिकता नहीं दिया गया।

4. श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर दूबे के स्पष्टीकरण की गयी। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए स्पष्टीकरण पर कार्रवाई को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव श्री दिवाकर दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बांका एवं श्रम अधीक्षक, लखीसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण–1 के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री दिवाकर दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बांका एवं श्रम अधीक्षक, लखीसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण–1 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–22/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–22/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–22/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, बांका/जिला पदाधिकारी, जमुई/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/ कोषागार पदाधिकारी, बांका/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

sankalp33

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–22/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री दिवाकर दूबे, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बांका एवं श्रम अधीक्षक, लखीसराय सम्प्रति श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण–1को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–22/2017 श्र०सं०– 520 पटना, दिनांक–27/02/2018
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ अपर सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/18
सरकार के उप सचिव